कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 1784/50/आउशि/सम./2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 06-08-21

प्रति,

1. क्षेत्रीय अपर संचालक,
   रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर (छ.ग.)।
2. कुलसचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय (छ.ग.)।
3. संचालक,
   छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
   पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर रायपुर (छ.ग.)।
4. संचालक,
   छ.ग. साहित्य अकादमी,
   क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय,
   शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर रायपुर
5. सचिव,
   छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,
   शांति नगर एकता नर्सिंग होम के पास रायपुर (छ.ग.)।
6. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय,
   छ.ग.।

विषय :– **महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडन(निवारण,प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम–2013 के पालन को मंत्रालय के समस्त विभाग में सुचारू रूप से लागू किये जाने बाबत्।**

संदर्भ :– 1. अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 2040/1713/2021/38–1 दिनांक 02 जुलाई 2021
2. महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र क्रमांक एफ 11–1/2020/1021/टीएल/माबवि/50 दिनांक 04.06.2021

–––000–––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अपने कार्यालयों में परिवाद समिति का गठन करना सुनिश्चित करें, एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें ।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 1785 /50/आउशि/सम./2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 06-08-21

प्रतिलिपि :–

अवर सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग महानदी भवन मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

No.: L-201---22---1108
AD---/JD/---/DD---
Section--- समन्वय
Date 8 JUL 2021

02 JUL 2021

क्रमांक 2040 / 1713 / 2021 / 38–1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक / 07 / 2021

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर,
रायपुर, छ.ग.

विषयः–महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के पालन को मंत्रालय के समस्त विभाग में सुचारू रूप से लागू किये जाने बाबत्।

महिला एवं बाल विकास विभगा से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 11–1 / 2020 / 1021 / TL / मबावि / 50, दिनांक 04.06.2021 के साथ संलग्न डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक, माननीय अध्यक्ष, छ.ग. राज्य महिला आयोग, रायपुर से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 255 दिनांक 05.04.2021 की छायाप्रति संलग्न है। आदेशानुसार अधिनियम, 2013 दिनांक 22.04.2013 गाईड लाईन में निहित प्रावधान अनुसार परिवाद समिति का गठन कर, विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(ए.आर.खान)
अवर सचिव
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

14/7/2021

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 11–1/2020/1021/TL/मबावि/50 नवा रायपुर, दिनांक 4/06/2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छ0ग0 राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास,
छत्तीसगढ़

विषयः–विषयः–महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के पालन को मंत्रालय के समस्त विभाग में सुचारू रूप से लागू किये जाने बाबत्।

––00––

डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक, माननीय अध्यक्ष, छ.ग. राज्य महिला आयोग, रायपुर से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 255 दिनांक 05.04.2021 एवं विषयांकित अधिनियम, 2013 दिनांक 22 अप्रैल, 2013 गाईड लाईन की छायाप्रति संलग्न है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 मे निहित प्रावधान के अनुसार परिवाद समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है।

अतः कृपया अधिनियम, 2013 दिनांक 22 अप्रैल, 2013 गाईड लाईन में निहित प्रावधान अनुसार परिवाद समिति का गठन तत्काल करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(विजया खेस्स)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक एफ 11–1/2020/1021/TL/मबावि/50 नवा रायपुर, दिनांक /06/2021

प्रतिलिपिः–

1. उप सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर की ओर जावक क्र. 4728/दिनांक 08.04.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. निज सहायक, मान. अध्यक्ष, छ.ग. राज्य महिला आयोग, शास्त्री चौक रायपुर की ओर अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 255 दिनांक 05.04.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(विजया खेस्स)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

Mnp/letr18

मती किरणमयी नायक
अध्यक्ष
छ.ग. राज्य महिला आयोग

अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 255
दिनांक 05/04/2021
छ.ग. राज्य महिला आयोग
राज्य महिला आयोग, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.)
सम्पर्क 0771-2433488 फैक्स 0771-2429977
टोल फ्री 1800-233-4299
Email: cgmahilaayog@gmail.com, chairperson.cgswc@gmail.com
Website: www.cgmahilaayog.com

विषय – महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन(निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के पालन को मंत्रालय के समस्त विभाग मे सुचारू रूप से लागू किये जाने बाबत्।

- 6 APR 2021

विषयांतर्गत अनुरोध है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार पूर्व में विशाखा गाईडलाईन प्रचलन मे थी, इसके उपरांत संसद मे 2013 मे कानून बनाते हुए **महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013** निर्मित किया गया है। उपरोक्त उल्लेखित कानून का निर्माण और इस कानून के निर्माण के साथ ही भारतीय दंड संहिता में भी धारा 354ए, 354बी, 354सी और 354डी को भी जोड़ा गया है। उपरोक्त कानून नया होने के कारण इसकी जानकारी का व्यापक प्रचार–प्रसार नहीं हो पाने के कारण अब तक प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया जा सका है।

अधिनियम की **धारा 4 के अनुसार** समस्त कार्यस्थल (शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक या निजी उपकम) जहॉ भी 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, ऐसे सभी कार्यस्थल पर **आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaints Committee)** का गठन किया जाना अनिवार्य है। इस समिति में 01 पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष), 02 सदस्य जिन्हें समाज सुधार का अनुभव या विधिक ज्ञान हो तथा 1 सदस्य गैर सरकारी संगठनों/सगमों (NGO) से जो महिलाओ की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हो। ऐसे समस्त कार्यस्थल (शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक या निजी उपकम), जहॉ उक्त समिति गठित नहीं है, **वहॉ रू. 50,000/– तक का आर्थिक दण्ड का भी प्रावधान है।** अधिनियम की **धारा 6 के अनुसार** परिवाद नियोजक के विरूद्ध हो वहां प्रत्येक जिलाधिकारी (कलेक्टर, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर) जिले के लिए **स्थानीय परिवाद समिति (Local Complaints Committee)** का गठन किया जाना अनिवार्य है तथा इसे प्रत्येक जिले में लागू भी किया गया है।

महिला आयोग के विगत 06 माह के कार्यकाल की सुनवाई में अनेक ऐसे प्रकरण सामने आए है, जहाँ शासकीय कार्यालयों में भी उपरोक्त समितियों का गठन नहीं किया गया है, जबकि इसे प्रत्येक कार्यस्थल में लागू किया जाना है। अतः अधिनियम की धारा 04 के अनुसार मंत्रालय अतर्गत समस्त विभाग मे इसका गठन कराए जाने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध है। मंत्रालय अतर्गत समस्त विभाग से मीटिंग आहूत कर आंतरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्यतः कराने तथा इसका सार्वजनिक बोर्ड हर विभाग में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराने हेतु निर्देशित करें। साथ ही अधिनियम की धारा 05 के अनुसार गठित समिति की नियमित बैठक कराने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध है। मंत्रालय के साथ–साथ समस्त जिला कलेक्टर को

इस कानून का पालन अपने जिलो मे एवं सभी विभागीय कार्यालयो, निजी संस्था उद्योगो में आवश्यक रूप से पालन कराने व निर्देश जारी कराने तथा इस कानून का जनसपर्क के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का सादर अनुरोध है।

उक्तोक्त समिति का गठन सभी विभागो मे प्रभावशाली ढग से कराए जाने की अत्यत आवश्यकता है, जिससे कार्यस्थल पर महिलाओ का लैंगिक उत्पीडन रोका जा सके और प्रभावशाली ढग से उसका निराकरण भी किए जा सके, ताकि समस्त विभाग अतर्गत कार्यरत महिलाएं स्वयं को सुरक्षित समझेगी।

संलग्न – अधिनियम की प्रति।
टीप – प्रदर्शन बोर्ड का प्रारूप ई-मेल मे भेजा जा रहा है। इसी प्रारूप मे सभी स्थान मे आतंरिक परिवाद समिति के बोर्ड का प्रदर्शन अनिवार्य होगा।

भवदीय

05.04.2021

(डॉ. किरणमयी नायक)

प्रति,

मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 14)

[22 अप्रैल, 2013

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और
लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण तथा
प्रतितोषण और उससे संबंधित या उसके
आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

लैंगिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अधीन समता तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवसाय करने या कोई उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है;

और, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभिसमय जैसे अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतों द्वारा सर्वव्यापी मान्यताप्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं, जिनका भारत सरकार द्वारा 25 जून, 1993 को अनुसमर्थन किया गया है;

और, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना समीचीन है;

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "व्यथित महिला" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) किसी कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित है या नहीं, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अभिकथन करती है;

(ii) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो ऐसे किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित है;

(ख) "समुचित सरकार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसे कार्यस्थल के संबंध में, जो,—

(अ) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित है, केन्द्रीय सरकार;

(आ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित है, राज्य सरकार;

(iii) उपखंड (i) के अंतर्गत न आने वाले और उसके राज्यक्षेत्र के भीतर आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, राज्य सरकार;

(ग) "अध्यक्ष" से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "जिला अधिकारी" से धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "घरेलू कर्मकार" से ऐसी कोई महिला अभिप्रेत है जो किसी गृहस्थी में पारिश्रमिक पर [illegible] कार्य करने के लिए, चाहे नकद या वस्तु रूप में, या तो सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से [illegible] पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है किंतु इसके अंतर्गत नियोजक के कुटुंब का कोई सदस्य नहीं है;

(च) "कर्मचारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए या तो सीधे या किसी अभिकर्ता के माध्यम से, जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है, प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना, नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिश्रमिक पर या उसके बिना, नियोजित है या स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा कार्य कर रहा है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हैं या नहीं और इसके अंतर्गत कोई सहकर्मी, कोई संविदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन, शिशु, प्रशिक्षु या ऐसे किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई व्यक्ति भी है;

(छ) "नियोजक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट के संबंध में, उस विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट का प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी जो, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ii) उपखंड (i) के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रबंध" के अंतर्गत ऐसे संगठन के लिए नीतियों की विनिर्मिति और प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या बोर्ड या समिति भी है;

(iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थल के संबंध में, अपने कर्मचारियों के संबंध में संविदात्मक बाध्यताओं का निर्वहन करने वाला व्यक्ति;

(iv) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, ऐसा कोई व्यक्ति या गृहस्थी, जो ऐसे नियोजित कर्मकार की संख्या, समयावधि या प्रकार या नियोजन की प्रकृति या घरेलू कर्मकार द्वारा निष्पादित कार्यकलापों का विचार किए बिना, घरेलू कर्मकार को नियोजित करता है या उसके नियोजन से फायदा प्राप्त करता है;

(ज) "आंतरिक समिति" से धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिवाद समिति अभिप्रेत है;

(झ) "स्थानीय समिति" से धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवाद समिति अभिप्रेत है;

(ञ) "सदस्य" से, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ठ) "पीठासीन अधिकारी" से धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया आंतरिक परिवाद समिति का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड) "प्रत्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है;

(ढ) "लैंगिक उत्पीड़न" के अन्तर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विवक्षित रूप से हैं, अर्थात् :—

(i) शारीरिक संपर्क और अग्रगमन; या

(ii) लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना; या

(iii) लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना; या

(iv) अश्लील साहित्य दिखाना; या

(v) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना;

(ण) "कार्यस्थल" के अंतर्गत निम्नलिखित भी है—

(i) ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट, जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कम्पनी या निगम या सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णतः या सारतः उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षतः [illegible] निधियों द्वारा वित्तपोषित की जाती है;

(ii) कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट [illegible] न्यास, गैर-सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा [illegible] औद्योगिक, स्वास्थ्य [illegible] या वित्तीय क्रियाकलाप करते [illegible] सेवा भी है;

(iii) अस्पताल या परिचर्या गृह;

(iv) प्रशिक्षण, खेलकूद या उनसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त, कोई [illegible] स्टेडियम, खेलकूद प्रक्षेत्र या प्रतिस्पर्धा या क्रीड़ा का स्थान, चाहे [illegible] है या नहीं;

(v) नियोजन से उद्भूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी द्वारा परिदर्शित कोई स्थान जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है;

(vi) कोई निवास स्थान या कोई गृह;

(त) किसी कार्यस्थल के संबंध में, असंगठित सेक्टर से ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है, जो व्यष्टिया या स्वनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन है और किसी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और जहां उद्यम, कर्मकारों को नियोजित करता है, वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या दस से अन्यून है।

3. लैंगिक उत्पीड़न का निवारण—(1) किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

(2) अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियां, यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में होती हैं या विद्यमान हैं या उससे संबद्ध हैं, लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आ सकेंगी :—

(i) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का विवक्षित या सुस्पष्ट वचन देना; या

(ii) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या

(iii) उसके वर्तमान या भावी नियोजन की प्रास्थिति के बारे में विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या

(iv) उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभित्रासमय या संतापकारी या प्रतिकूल कार्य वातावरण सृजित करना; या

(v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला अपमानजनक व्यवहार करना।

अध्याय 2

आंतरिक परिवाद समिति का गठन

4. आंतरिक परिवाद समिति का गठन—(1) किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा, "आंतरिक परिवाद समिति" नामक एक समिति का गठन करेगा :

परंतु जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें, भिन्न-भिन्न स्थानों या खंड या उपखंड स्तर पर अवस्थित है, वहां आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएगी।

(2) आंतरिक समिति, नियोजक द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी :

परंतु किसी ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नामनिर्देशित किया जाएगा :

परंतु यह और कि कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों में ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उसी नियोजक या अन्य विभाग या संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ख) कर्मचारियों में से दो से अन्यून ऐसे सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध है या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से ऐसा एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रति कोई व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित है :

परंतु इस प्रकार नामनिर्देशित कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी।

(3) आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से नियुक्त किए गए सदस्य को आंतरिक समिति की कार्यवाहियां नियोजक द्वारा ऐसी फीस या भत्ते, जो विहित किए जाएं, संदत्त किए जाएंगे।

(5) जहां आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य,—

(क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या

(ख) किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या उसके विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपराध की कोई जांच लंबित है; या

(ग) किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही है; या

(घ) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित पर प्रति प्रभाव डालने वाला हो गया है,

वहां, यथास्थिति, ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

अध्याय 3

स्थानीय परिवाद समिति का गठन

5. जिला अधिकारी की अधिसूचना—समुचित सरकार, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलक्टर या उप कलक्टर को प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।

6. स्थानीय परिवाद समिति का गठन और उसकी अधिकारिता—(1) प्रत्येक जिला अधिकारी, संबंधित जिले में, ऐसे स्थापनों से जहां दस से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है या यदि परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वहां लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद ग्रहण करने के लिए "स्थानीय परिवाद समिति" नामक एक समिति का गठन करेगा।

(2) जिला अधिकारी, ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, ताल्लुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगरपालिका में परिवाद ग्रहण करने के लिए और सात दिन की अवधि के भीतर उसको संबंधित स्थानीय परिवाद समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगा।

(3) स्थानीय परिवाद समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा, जहां वह गठित की गई है।

7. स्थानीय परिवाद समिति की संरचना, सेवाधृति और अन्य निबंधन तथा शर्तें—(1) स्थानीय परिवाद समिति, जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ख) एक सदस्य, जो जिले में ब्लॉक, ताल्लुका या तहसील या वार्ड या नगरपालिका में कार्यरत महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ग) दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से या ऐसा व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित ऐसे मुद्दों से सुपरिचित हो जो विहित किए जाएं, नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :

परंतु कम से कम एक नामनिर्देशिती के पास, अधिमानी रूप से विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान होना चाहिए :

परंतु यह और कि कम से कम एक नामनिर्देशिती, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी;

(घ) जिले में सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधित संबद्ध अधिकारी, सदस्य पदेन होगा।

(2) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अन[illegible] लिए पद धारण करेगा, जो जिला अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) जहां स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य,—

(क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या

(ख) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है [illegible] अपराध की कोई जांच लंबित है; या

(ग) किसी अनुशासनिक [illegible] है; या

(घ) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका अपने पद पर बने रहना लोकहित [illegible] प्रभाव डालने वाला हो गया है,

वहां, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन से भरा जाएगा।

(4) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों से भि[illegible] स्थानीय समिति की कार्यवाहियां करने के लिए ऐसी फीसों या भत्तों के लिए, जो विहित किए जाएं, हकदार होंगे।

8. अनुदान और संपरीक्षा—(1) केंद्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के [illegible] राज्य सरकार को धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय के लिए उपयोग किए जाने के लिए ऐसी धनराशि [illegible] जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे, अनुदान दे सकेगी।

(2) राज्य सरकार, एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगी और उस अभिकरण को उपधारा (1) के अधीन किए गए अनु[illegible] अंतरित कर सकेगी।

(3) अभिकरण, जिला अधिकारी को ऐसी राशियों का, जो धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय [illegible] लिए अपेक्षित हों, संदाय करेगा।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अभिकरण के लेखाओं को ऐसी रीति से रखा और संपरीक्षित किया जाएगा, जो राज्य के [illegible] महालेखाकार के परामर्श से विहित की जाए और अभिकरण के लेखाओं को अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति, ऐसी तारीख से पूर्व, जो [illegible] विहित की जाए, राज्य सरकार को लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 4

परिवाद

9. लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद—(1) कोई व्यथित महिला, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, लिखित में, आंतरिक समिति को, यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी :

परंतु जहां ऐसा परिवाद, लिखित में नहीं किया जा सकता है वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य, या स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा :

परंतु यह और कि, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से तीन मास से अनधिक की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी थीं, जिसने महिला को उक्त अवधि के भीतर परिवाद फाइल करने से निवारित किया था।

(2) जहां व्यथित महिला, अपनी शारीरिक या मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है वहां उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए, इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा।

10. सुलह—(1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व और व्यथित महिला के अनुरोध पर, सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यर्थी के बीच मामले को निपटाने के उपाय कर सकेगी :

परंतु कोई धनीय समझौता, सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई समझौता हो गया है, वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, इस प्रकार किए गए समझौते को अभिलिखित करेगी और उसको नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी कार्रवाई, जो सिफारिश में विनिर्दिष्ट की जाए, करने के लिए भेजेगी।

(3) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, उपधारा (2) के अधीन अभिलिखित किए गए समझौते की प्रति व्यथित महिला और प्रत्यर्थी को उपलब्ध कराएगी।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई समाधान हो जाता है, वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा कोई और जांच नहीं की जाएगी।

11. परिवाद की जांच—(1) धारा 10 के परंतुक के अधीन रहते हुए, [illegible] जहां प्रत्यर्थी कोई कर्मचारी है, वहां प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों [illegible] ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, परिवाद की जांच करने की कार्यवाही करेगी या किसी घरेलू कर्मकार की दशा में, स्थानीय समिति, यदि प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है, तो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 और जहां लागू हो, वहां उक्त संहिता के किन्हीं अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए सात दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी।

परंतु जहां व्यथित महिला, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करती है कि धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन किए गए समझौते के किसी निबंधन या शर्त का प्रत्यर्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, वहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, परिवाद की जांच करने के लिए कार्यवाही करेगी या पुलिस को परिवाद भेजेगी :

परंतु यह और कि जहां दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं, वहां पक्षकारों को, जांच के अनुक्रम के दौरान, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्ष की प्रति दोनों पक्षकारों को, समिति के समक्ष निष्कर्षों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने में उनको समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 509 में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय, जब प्रत्यर्थी को अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है, तब धारा 15 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा व्यथित महिला को ऐसी राशि के संदाय का, जो वह समुचित समझे, आदेश कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(4) उपधारा (1) के अधीन जांच, नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

अध्याय 5

परिवाद की जांच

12. जांच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई—(1) जांच लंबित रहने के दौरान, व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, नियोजक को निम्नलिखित सिफारिश कर सकेगी,—

(क) व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानान्तरण करना; या

(ख) व्यथित महिला को तीन मास तक की अवधि की छुट्टी अनुदान करना; या

(ग) व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत, जो विहित की जाए प्रदान करना।

(2) इस धारा के अधीन व्यथित महिला को अनुदत्त छुट्टी ऐसी छुट्टी के अतिरिक्त होगी, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर, नियोजक, उपधारा (1) के अधीन की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा और ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा।

13. जांच रिपोर्ट—(1) इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित नहीं किया गया है वहां, वह, नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले में किसी कार्रवाई का किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(3) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभि[illegible] साबित हो गया है, वहां, वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी से निम्नलिखित के लिए सिफारिश करेगी,—

(i) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार [illegible] ऐसे सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं, वहां ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करना;

(ii) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों में किसी [illegible] या उसके विधिक वारिसों को संदत्त की जाने वाली [illegible] उपबंधों के अनुसार [illegible]

[illegible] प्रत्यर्थी को, व्यथित महिला को [illegible] का संदाय करने का निदेश दे सकेगा:

परंतु यह और कि यदि प्रत्यर्थी, खंड (ii) में निर्दिष्ट राशि का संदाय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, संबंधित जिला अधिकारी को भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए आदेश अग्रेषित कर सकेगी।

(4) नियोजक या जिला अधिकारी, उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा।

14. मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड—(1) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन द्वेषपूर्ण है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवाद को मिथ्या जानते हुए किया है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है तो वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिसने, यथास्थिति, धारा 9 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिवाद किया है, उसको लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी:

परंतु किसी परिवाद को सिद्ध करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने में केवल असमर्थता, इस धारा के अधीन परिवादी के विरुद्ध कार्रवाई आकर्षित नहीं करेगी:

परंतु यह और कि किसी कार्रवाई की सिफारिश किए जाने से पूर्व, विहित प्रक्रिया के अनुसार कोई जांच करने के पश्चात् परिवादी की ओर से द्वेषपूर्ण आशय सिद्ध किया जाएगा।

(2) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज दिया है, वहां वह, यथास्थिति, साक्षी के नियोजक या जिला अधिकारी को, उक्त साक्षी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी।

15. प्रतिकर का अवधारण—धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (ii) के अधीन व्यथित महिला को संदत्त की जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी,—

(क) व्यथित महिला को कारित हुए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावात्मक कष्ट;

(ख) लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि;

(ग) पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनश्चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय;

(घ) प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय हैसियत;

(ङ) एकमुश्त या किस्तों में ऐसे संदाय की साध्यता।

16. परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 के अधीन किए गए परिवाद की अंतर्वस्तुओं, व्यथित महिला, प्रत्यर्थी और साक्षियों की पहचान और पते, सुलह और जांच कार्यवाहियों से संबंधित किसी जानकारी, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिशों तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को, किसी भी रीति से, प्रकाशित, प्रेस और मीडिया को संसूचित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा:

परंतु इस अधिनियम के अधीन लैंगिक उत्पीड़न की किसी पीड़ित को सुनिश्चित न्याय के संबंध में जानकारी का, व्यथित महिला और साक्षियों के नाम, पते या पहचान या उनकी पहचान को प्रकल्पित करने वाली किन्हीं अन्य विशिष्टियों को प्रकट किए बिना, प्रसार किया जा सकेगा।

17. परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शक्ति—जहां कोई व्यक्ति, जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवाद, जांच या किन्हीं सिफारिशों या की जाने वाली कार्रवाई का संचालन करने या

अध्याय 6

नियोजक के कर्तव्य

19. नियोजक के कर्तव्य—प्रत्येक नियोजक,—

(क) कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से सुरक्षा भी है;

(ख) लैंगिक उत्पीड़न के शास्तिक परिणाम; और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा;

(ग) अधिनियम के उपबंधों से कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं और जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, आयोजित करेगा;

(घ) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवाद पर कार्यवाही करने और जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा;

(ङ) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यर्थी और साक्षियों की हाजिरी सुनिश्चित करने में सहायता करेगा;

(च) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन किए गए परिवाद को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित हो;

(छ) महिला को, यदि वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवाद फाइल करना, चयन करती है, सहायता प्रदान करेगा,

(ज) ऐसे कार्यस्थल में, जिसमें लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई थी, अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि व्यथित महिला ऐसी वांछा करती है, जहां अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं है, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई आरंभ करवाएगा;

(झ) लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और ऐसे कदाचार के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा;

(ञ) आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मानिटर करेगा।

अध्याय 7

जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां

20. जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां—जिला अधिकारी,—

(क) स्थानीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत किए जाने को मानिटर करेगा,

(ख) ऐसे उपाय करेगा, जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध मे जानकारी सृजित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को लगाने के लिए आवश्यक हों।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

21. समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना—(1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, प्रत्येक कलैंडर वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसको नियोजक तथा जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

(2) जिला अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को [illegible]

22. नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी का सम्मिलित किया जाना—[illegible] मामलों, यदि कोई हों, और उनके निपटान की वार्षिक रिपोर्ट में [illegible] या जहां ऐसी रिपोर्ट [illegible] करेगा।

23. समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन को मानिटरी और आंकड़े रखा जाना—[illegible] को मानिटर करेगी और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के [illegible] रखेगी।

24. समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के प्रचार के लिए [illegible]

(क) कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण के लिए उपबंध करने वाले इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में जनता की समझ बढ़ाने के लिए समुचित सूचना, शिक्षा, संसूचना और प्रशिक्षण सामग्रियां विकसित कर सकेगी और जानकारी कार्यक्रम आयोजित कर सकेगी;

(ख) स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित कर सकेगी।

25. सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति—(1) समुचित सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित मे या कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित मे आवश्यक है, लिखित आदेश द्वारा,—

(क) किसी नियोजक या जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न के संबंध मे ऐसी लिखित सूचना जो उसको अपेक्षित हो प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगी;

(ख) किसी ऐसे अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो उसको ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक नियोजक और जिला अधिकारी, मांग किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष, उसकी अभिरक्षा मे ऐसी सभी सूचनाओं, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे, जो ऐसे निरीक्षण की विषय-वस्तु से संबंधित है।

26. अधिनियम के उपबंधों के अननुपालन के लिए शास्ति—(1) जहां कोई नियोजक,—

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन एक आंतरिक समिति का गठन करने मे असफल रहेगा,

(ख) धारा 13, धारा 14 और धारा 22 के अधीन कार्रवाई करने में असफल रहेगा, और

(ग) इस अधिनियम के अन्य उपबधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमो का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उनके उल्लंघन को दुष्प्रेरित करेगा,

वहां वह, ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने के पश्चात् उसी अपराध को करता है और सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह,—

(i) उसी अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम दंड के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने पर अधिरोपित दंड से दुगुने दंड का दायी होगा :

परंतु यदि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है, कोई उच्चतर दंड विहित है तो न्यायालय दंड देते समय उसका सम्यक् संज्ञान लेगा,

(ii) सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसके कारबार या क्रियाकलाप को चलाने के लिए अपेक्षित, यथास्थिति, उसकी अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने या रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किए जाने या नवीकरण या अनुमोदन न किए जाने या रद्दकरण के लिए दायी होगा।

27. न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान—(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमो के अधीन दडनीय किसी अपराध का संज्ञान, व्यथित महिला या आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय न करेगा।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा।

28. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना—इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

29. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वि लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित स विषयों के संबंध में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन सदस्यों को संदत्त की जाने वाली फीस या भत्ते;

(ख) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्यों का नामनिर्देशन;

(ग) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदत्त की जाने वाली फीस या भत्ते;

(घ) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन परिवाद कर सकेगा;

(ङ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जांच की रीति;

(च) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन जांच करने की शक्तियां;

(छ) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सिफारिश की जाने वाली राहत;

(ज) धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (i) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति;

(झ) धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति;

(ञ) धारा 17 के अधीन की जाने वाली कार्रवाई करने की रीति;

(ट) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपील की रीति;

(ठ) धारा 19 के खंड (ग) के अधीन कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यशालाएं, जानकारी क आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की रीति; और

(ड) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति और स्थानीय समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैय लिए प्ररूप और समय।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशी प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं

(4) किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन बनाया गया कोई नियम बनाए जाने के पश्चात जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सद रखा जाएगा।

30. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उ है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन रखा जाएगा।

महिला उत्पीड़न तथा यौन शोषण संबंधी कानून

1. ऐसे सभी व्यवहार जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो, जो अरूचि कर यौन भावना से प्रेरित हो ।
2. शारीरिक संपर्क एवं निकट आने का प्रयत्न ।
3. यौन अनुग्रह की मांग ।
4. यौन अर्थ से रंजित फब्तियाँ ।
5. अश्लील चित्र दिखाना ।
6. कोई अन्य अरूचिकर यौन भाव वाला शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक संपर्क
7. ऐसा यौन उत्पीड़न जो अपमान, स्वास्थ्य या सुरक्षा का भय दिखाकर किया जाये ।
8. ऐसा यौन उत्पीड़न जो हानिकारक परिणामों को चेतावनी, धमकी देकर किया जायये ।
9. ऐसा यौन उत्पीड़न जो देश या माहौल दूषित होने की संभावना दिखाकर किया जाये ।
10. छेड़खानी करना ।
11. किसी स्त्री की स्वतंत्रता को भंग करने का प्रयत्न करना ।
12. भद्‌दा मजाक करना ।
13. फोन पर अश्लील बातचीत करना ।
14. इच्छा के विरूद्ध करना, उसकी निजता का उल्लंघन करना ।
15. किसी भी प्रकार की ज्यादती करना ।

आदि संबंधी अपराधन होने पर प्रमुख निकटस्थ पुलिस थाना, महिला थाना तथा राज्य महिला आयोग को सूचित करें ।

"राज्य महिला आयोग, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा महिलाओं के हित में प्रसारित"

Govt. Madan Lal Shukla College, Seepat (C.G.) AISHE C-22298
Govt. Madan Lal Shukla College, Seepat (C.G.) IQAC
प्राचार्य,
शासकीय एम. एल. एस. महाविद्यालय
सीपत जिला - बिलासपुर (छ० ग०)

रैगिंग संबंधी परिनियम

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग रोकने के लिये विशेष परिनियम :

1. यह विशेष विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के परिसर में रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिये स्थापित किया जा रहा है ।
2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर और संबद्ध छात्रावास परिसर में होने वाली किसी घटना के लिये लागू होंगें । परिसर के बाहर की घटनाओं के लिये यह परिनियम प्रचलन में नहीं होगा ।
3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होगा :

   अ. शारीरिक आघात जैसे चोट पहुंचाना, चांटा मारना, पीटना अथवा कोई दण्ड देना ।

   ब. मानसिक आघात जैसे मानसिक कलेश पहुंचाना, छेड़ना, अपमानित करना, डांटना ।

   स. अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना, असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिये बाध्य करना ।

   द. सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी असामाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित तत्वों के द्वारा अनियंत्रित व्यवहार जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना-चिल्लाना आदि।
4. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक या कोई नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा । ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालय और कुलपति विश्वविद्यालयों में गठित प्राक्टोरियल बोर्ड को सौंपेंगे । इसमें चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप में प्राचार्य/कुलपति द्वारा मनोनीत किये जायेंगें। इस हेतु प्राक्टोरियल बोर्ड की विशेष बैठक आहूत की जायेगी । बैठक की सूचना, सूचना बोर्ड में मनोनीत वरिष्ठतम प्राध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दी जायेगी । यह वरिष्ठतम प्राध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दी जायेगी । यह वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्रॉक्टर कहलायेंगें ।
5. प्रॉक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगें ।
6. प्राक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगें । दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दंड दिया जा सकेगा ।

   1. महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिये निष्कासन ।
   2. राज्य के किसी भी महाविद्यालय या/एवं विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक ।
   3. दोषी छात्र को दंड के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा । यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को संबोधित होगा ।
   4. महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टोरियल बोर्ड की ऐसी किसी भी घटना को विस्तृत जांच संस्थित करने का पूर्ण अधिकार होंगें और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा ।
   5. कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही में प्राचार्य/कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा ।
   6. यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्र अथवा अछात्र द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस की सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा ।

   इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आई.आर. दर्ज करवाना आवश्यक होगा ।

Govt. Madan Lal Shukla College IQAC Seepat (C.G.)

Govt. Madan Lal Shukla College AISHE C-22298 Seepat (C.G.)

प्राचार्य
शासकीय एम. एल. एस. महाविद्यालय
सीपत, जिला – बिलासपुर (छ० ग०)

महिला उत्पीड़न व्याख्यान माला

2017-18

महाविद्यालय मे महिला उत्पीड़न पर व्याख्यान माला का आयोजन दिनांक 14.9.2017 को आयोजित किया गया जिसमे मुख्य वक्ता डॉ. एस. पी. मिनिषा पाण्डे द्वारा महिला सुरक्षा और महिला अधिकार पर अपने विचार रखे गये उन्होने कहा —

* की अधिकार के साथ कर्तव्यो का होना भी जरूरी है।

* अधिकार की जानकारी सभी छात्र छात्राओं को होना जरूरी है

* अगर सभी समाज में कर्तव्यों का पालन इमानदारी से करे तो किसी के भी अधिकारो का हनन हो ना है

* महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिये महिला अधिकारो का ज्ञान होना जरूरी है

* पाण्डे मैडम के साथ ही महाविद्यालय की अन्य महिला प्राध्यापकों ने भी महिला उत्पीड़न पर अपने अपने विचार रखे जिसमें अंग्रेजी विभाग की डॉ श्वेता पड़वा व समाज शास्त्र विभाग की डॉ. मीना बांखरिया मैडम ने अपने विचार रखे।

जिसमें सभी महिला प्राध्यापक व छात्रों उपस्थित रहे।

संयोजक

डॉ. [illegible]

1. [illegible signature]
2. [illegible signature]
3. S. Bajpai
   [illegible signature]
4. [illegible signature]
5. Shweta Jaiswal
6. [illegible signature]

क्रमांक	नाम	कक्षा	पता	मोबाइल नं.
1	मनोज कुमारी	MA I राजनीति वि.	सीपत	9827589212
2	नेहा पटेल	MA I राजनीति वि	जांजी	9926165998
3	अंजली मंडलोई	M.A. I राजनीति वि.	मुड़पार	7024607791
4	प्रतिभा यादव	M.A. I राज. वि.	डरलुभ	7440983099
5	रोहिणी दुबे	B.A. II	सीपत	7879923043
6	प्रियंका बर्मन	B.A. II	सीपत	8349670867
7	काजल टेंगवर	B.A. II	नरगोड़ा	9926994871
8	दिव्या पटेल	B.A. II	कौड़िया	7898973626
9	ममता यादव	B.A. II	कौड़िया	9828264728
10	दीपिका टेंगवर	B.A. I	नरगोड़ा	7726794871
11	नीलू सूर्यवंशी	B.A. I	नरगोड़ा	8827836735
12	सविता यादव	B.A. III	खम्हरिया	8085585992
13	आशा नेताम	B.A. III	सोंठी	9644191129
14	डाली जायसवाल	B.A. III	धनियाँ	7772930565
15	राजनंदनी राजगीर	B.A. III	परसदाही	9165344960
16	दीपा भार्गव	B.A. III	सीपत	8964831919
17	वैभवी गंधर्व	B.A. II	मरियारी	7049378817
18.	कु. रम्भा	B.A. II	मटियारी	9691847804
19	रोशनी कश्यप	MA II राजनीति विज्ञान	करमा	8889082876
20,	सुजाता उपाध्याय	MA I हिंदी	कुरी	8817827594
21	रजनी पटेल	MA I अर्थशास्त्र	कौड़िया	9893372370
22	शकुन पटेल	B.A. II	कौड़िया	999394391
23	निकिता जायसवाल	B.COM. III	सीपत	7470995225
24	माधुरी निर्मलकर	M.A. I राजनीति विज्ञान	सीपत	9644316286
25	निधि श्रीवास	BA II	कौड़िया	9109307552
26	शैलकुमारी वर्मा	BA II	पंधी	9179850215
27	कल्याणी दुबे	B.A. II	पंधी	91790177[illegible]

2018-19

19.9

महिला उत्पीड़न पर एक परिचर्चा

आज दिनांक 19.9.2018 को दोपहर 1 बजे कक्ष क्रमांक 01 में महाविद्यालय में छात्राओं एवं महिलाओं के लिए महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न पर एक परिचर्चा का आयोजन रखा गया है इस परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य छात्राओं एवं महिलाओं साथ होने वाले दुरभाव पुरुष वर्ग से है जिस क्षेत्र या कार्यस्थल पर महिलाएँ कार्यरत या अध्ययन करती है वहाँ पर उपस्थित पुरुष वर्ग द्वारा ~~अ~~ मानसिक ~~रूप से~~ उनकी भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया जाता है, अधिकांशतः महिलाएँ चुप रह जाती है जिसका गलत अर्थ निकाला जाता है एवं पुरुष वर्ग की हिम्मत और बढ़ जाती है। आज की इस परिचर्चा का उद्देश्य ~~है कि~~ महिला वर्ग को जागरूक करना कि वह पुरुषों के द्वारा किये जा रहे अच्छे एवं बुरे व्यवहार के बीच के फर्क को जाने एवं चुप न रहे।

आज की इस महिला उत्पीड़न विषय पर आयोजित परिचर्चा में

महाविद्यालय की समस्त महिला प्राध्यापिका एवं शिक्षणेत्तर समस्त छात्राएं उपस्थित रही, आज की इस परिचर्चा में छात्राओं को जानकारी दी गई कि उनके साथ कहीं भी चाहे उनका कार्यस्थल हो या महाविद्यालय या फिर कोई अन्य सार्वजनिक स्थल यदि कोई पुरुष कर्मचारी या सहपाठी पुरुष या फिर बस या अन्य वाहन यदि कोई उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है जिससे उनकी भावनाओं को चोट पहुँचती है या उनके छूने की पीछे कुछ दुर्भावना नजर आती है तो हम चुप न रहें इसका विरोध करें, सर्वप्रथम तो हमें स्वयं को आवाज उठानी होगी, हमारे चुप रहने से वे शायद वह गलत अर्थ लगायेगा और उसकी हिम्मत और बढ़ जायेगी। सर्वप्रथम तो अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में अपने परिवार को अवगत करायें साथ ही जहाँ कार्यस्थल या शिक्षणस्थल है वहाँ की महिला कर्मचारी के सामने वह अपनी समस्या को रखे। साथ ही साथ छात्राएं अपनी सीमाओं का भी निर्धारण करें यदि वह स्वयं

पुलिस वर्ग या सहपाठी छात्रों से
बहुत ज्यादा खुल कर व्यवहार
करेगी तो वह उसका अनुचित
फायदा उठाने की कोशिश करेंगे
इस परिचर्चा में उन्हें यह
भी बताया गया कि महाविद्यालय
में शिकायत पेटी भी होनी चाहिए
वह अपनी बात कह नहीं सकती
है तो शिकायत पेटी में वह
बात लिखकर डाल सकती
साथ ही उनको महिला हेल्प लाइन
नम्बर 1090 एवं 1091 से भी
शिकायत कराया जाता जरूरत
पर इस नम्बर की मदद ले
सकती है।

क्र०	नाम	हस्ताक्षर
1	रागिनी कश्यप	[signature] 19/09/18
2	निकिता पण्डा	[signature] 19/09/18
3	ज्योति धीवर	[signature] 19/09/18
4	Smt. Sasmita Bargah	[signature] 19/9/18
5	Shilpi Garg	[signature] 19/09/18
6	Shweta Pandya	[signature] 19/8
7	Dr. Shubhra Mishra	[signature] 19/8/18
8	Aditi Gautam	[signature]

क्र०	नाम	हस्ताक्षर
1	रोहणी	रोहणी
2	अराधना	अराधना
3.	श्यामला	श्यामला
४.	कृपांजली	कृपांजली
5	चन्द्रकांता	चन्द्रकांता
6.	कुलेश्वरी	कुलेश्वरी
7	पारूल पटेल	पारूल पटेल
8	प्रीति कैंवर्त	प्रीति
9	रोमी शर्मा	Reshma
10	माया साहू	Baho
11	जयंती साहू	जयंती साहू
12	शीना	शीना
13	संतोषी	Santoshi
14	योगिता पटेल	Yogita
15	मोनिका	Monika
16	मिनाक्षी साहू	मिनाक्षी साहू
17	वंदना मानिकपुरी	VANDANA
18	ममता केवट	Mamta
19	शिवांगी मिश्रा	Shivangi
20	पार्वती धीवर	Parwati
21	काजल बंजारे	K Banjare
22	प्राची मिरी	Prachi
23	काजल पाटनवार	Kajal
24	निवेदिता श्रीवास	Nivedita
25	तरूण मरावी	Tarun
	ममता पत्रवानी	[illegible]
26	मनीषा मरावी	Maravi
27	अनुराधा साहू	Aakher

क्र०	नाम	हस्ताक्षर
28	Rupa Dhiwar	Rupa
29	Payal Suryavanshi	[illegible]
30	Rani Barman	Barman
31	Jyoti Dongre	Jongre
32	~~प्रीति मरकाम~~	Preeti
33	~~दीपिका कश्यप~~	Deepika
34	Lalita Keshakar	ललिता
35	Vandana Anand	Anand
36	~~चन्द्रकली सूर्यवंशी~~	चन्द्रकली
37	अंजली भार्गव	अंजली भार्गव
38	Chhaya Patel	Patel
39	Savita Shyam	Savita Shyam
40	ऐश्वर्या आर्मो	Aishwarya
41	रोहिणी रवे	Rohine
42	सविता गोस्वामी	Savita Goswami
43	सुनीता गोस्वामी	S Goswami
44	पूजा साहू	पूजा साहू
45	काजल पटेल	Kajal
46	नंदनी श्रीवास	N. Shrivas
47	अलीशा खान	Alishakhan
48	Kiranyadav	Kiran
49	Anjani Kashyap	Anjani
50	Aarti Shrivas	Aarti
51	Sarita Mehra	[illegible]
52	PAYAL CHANDRAKAR	Payal

53	किरण साहू	Kiran Sahu
54	श्रद्धा बर्मन	Shradha B...
55	राजकुमारी पटेल	Rajkumari ...
56	आँचल गोस्वामी	Aanchal Goswa...
57	सुमन साहू	Suman Sahu
58	अदिती सिंह ठाकुर	Aditi Sing...
59	अरुणा	Aruna
60	कौशिल्या	Kaushilya Ka...
61	मोना पाटनुवार	Mona
62	नंदनी उइके	Nandni uikey
63	रूबी सूर्यवंशी	Ruby
64	नाविना सूर्यवंशी	नाविना
65	प्रियंका साहू	Priyanka Sahu
66	मनीषा सूर्यवंशी	मनीषा
67	प्रियंका बर्मन	Barman
68	शकुन	Skun
69	लक्की राठौर	Rathore
70	संगीता यादव	Sangeeta
71	इन्दु रानी बैगा	Rani
72	नेहा दुबे	Neha
73	संगीता साहू	Sangeeta Sahu
74	सुमन कश्यप	Suman
75	ज्योति मिर्जा	Mirza
76	कल्याणी सूर्यवंशी	Kon
77	निधि तिवारी	Tiwari
78	सुभद्रा पटेल	Patel
79	श्रीया पटेल	Patel
80	संगीता पटेल	Patel
81	गीतांजली मरावी	Geetanjali...
82	नीतू ठाकुर	Neetu

83	उमा कैवर्त्य	Uma Kaiwart
	अमरीका कुमारी	Amrika kumari
84	क्षत्रकुमारी	Kshetkumari
85	ममता मरकाम	Mamta
86	अनुसुईया बख्शी	Bakshi
87		
88	ज्योति भार्गव	Jyoti Bhargava
89	आकांक्षा निर्मलकर	Aakanksha
90	हिमांशी भारद्वाज	Himanshi
91	वैष्णवी गुप्ता	Vaishnavi
92	कु० रम्भा	Ku. Rambha
93	कु. प्रीति बघेल	Ku. Preeti Baghel
94	दिलेश्वरी यादव	Dim
95	अंजनी	Anjani
96		

Thakur

19/09/18
प्रभारी

प्रभारी

2019-20

दिनांक 15.2.2

विधिक साक्षरता शिविर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बिलासपुर (छ.ग.).

आज दिनांक 15.2.20 को शा० मदन शुक्ल महा० में विधिक साक्षरता का शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें माननीय सत्र न्यायधिशों द्वारा विधिक चेतना संबंधी अनेक जानकारी प्रदान कि गई।

शील प्रभा
प्राचार्य
डॉ शील प्रभा

1. पंकज जैन अपर सत्र न्यायाधीश पंकज
2. शैलेन्द्र चौहान अपर सत्र न्यायाधीश Shailen
3. गणेशराम पटेल अपर सत्र न्यायाधिश R Patel
4. खिलावनराम रिगरी जैन अपर सत्र न्यायाधीश

छात्र/छात्राओं का नाम	हस्ताक्षर
(1) रामकुमारी वस्त्रकार	Rustkar
(2) सुमन केशर	Kesar.
(3) निरूशा रानी	निरूशा रानी
(4) प्रेमकुमारी सिदार	प्रेमकुमारी सिदार
(5) पुनम सुर्यवंशी	पुनम सुर्यवंशी
(6) नंदनी सुर्यवंशी	नंदनी सुर्यवंशी
(7) मांडवी देवांगन	Dewangan
(8) माया यादव	Mayayadav
(9) वंदना मानिकपुरी	Vand.
(10) डेविड कुम्हरे	David
(11) जय प्रकाश रवार	[illegible]
(12) अरुण कुमार	Arun kum
(13) रजनी साहू	[illegible]
(14) सुषमा केशकर	सुषमा केशकर
15 सविता	Savita
(16) रूपा विजय	Rupa vijay
(17) पूजा साहू	Pooja Sahu
(18) खुशबु गोस्वामी	KG
(19) श्रुति शर्मा	Shruti
(20) अंकिता बंजारे	Ankita
(21) ज्योति यादव	JY.
(22) सोनम बानो	Sonambano
(23) तिलोत्मा यादव	Tilotma
(24) देव खरवार	Dev Kumar
(25) दिलीप कुमार	[illegible]
(26) कालिंदी कुमार मरावी	[illegible]
27. कमलेश कुमार	Kalesh
28 संदीप मरावी	Sandep

(29) विनय कुमार — Binay

(30) लखेश्वर जायसवाल — लखेश्वर

2020-21

01/06/2021

महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायत निवारण समिति

प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष में भी कार्य-स्थल में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निशाखा दिशा निर्देश के तहत यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत निवारण समिति गठित की गई है

अध्यक्षा - प्रो. नीना वरसानिया
सदस्य - प्रो. स्नेहा पदमा
डॉ. सुषमा मिश्रा
प्रो. अदिती गौतम
डॉ. स्नेहा जायसवाल
प्रो. वन्दना श्रीवास्तव
श्रीमति मीनेश साहू

* महिलाओं के शिकायतों हेतु महाविद्यालय में शिकायत पेटी है साथ महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध हो सके इसके लिये यह प्रकोष्ठ हमेशा सक्रिय रहता है साथ ही छात्राओं को उनके अधिकार और जागरूकता पर साल में कम से कम दो या तीन बार कार्यशाला का आयोजन भी करता है
* महिलाओं को स्वच्छ वातावरण देने के लिये ही महाविद्यालय में गर्ल्स कामन रूम की व्यवस्था की गई है
* साथ में महिलाओं के लिये सेनेटरी पैड मशीन की भी व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा

की गई है।

- रेड क्रास के द्वारा भी महिलाओं को स्वास्थ्य गत जानकारी उपलब्ध कराई रही है।

01/06/2021

संयोजक

डॉ कुसुम मिश्रा

प्राचार्य

डॉ. महि . पी . गुप्ता

Govt. Madan Lal Shukla P. G. College, Seepat

Distt. – Bilaspur(C. G.)

Website : www.https://gmlscollege.ac.in email : gmlscseepat@gmail.com

Report of Session 2020 -21

WOMEN HARRASSEMENT CELL

The Government Madan lal Shukla College as an institution is situated in the rural area and the female student ratio is more. The college emphasises and prioritise the safety and proper café of girl students. In order to ensure gender equality, the institution takes following special measures.

1. We constitute women cell in every session with a co-ordinator and its members.
2. We organise meet with the new admitted female students 2/3 times in the year so as to make them understand about college administration and behaviour.
3. We have two complaint boxes - one from the local police station and the other from the college, so anybody can drop complaint any time and anonymously.
4. We have help desk that also looks after the problems if there are any.
5. We arrange and organise different programmes on different issues relating problems and solution of harassment and exploitation issues.

As in continuation with past sessions in the session 2020-21 a Women Harassment cell is being constituted with a co-ordinator and all female members working in the institution.

Co-ordinator - Dr. Shubhra Mishra

Members - Prof. Neena Vakharia

Prof. Shweta Pandya

Prof. Aditi Gautam

Dr. Shweta Jaiswaal

Prof. Vandana Shrivastava

Triveni Sahoo

Govt. Madan Lal Shukla College AISHE C-22298 Seepat (C.G)

Govt. Madan Lal Shukla College IQAC Seepat (C.G)

प्राचार्य,
शासकीय एम. एल. एस. महाविद्यालय
सीपत जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

प्राचार्य,
शासकीय एम. एल. एस. महाविद्यालय
सीपत जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

Govt. Madan Lal Shukla P. G. College, Seepat

Distt. – Bilaspur(C. G.)

Website : www.https://gmlscollege.ac.in email : gmlscseepat@gmail.com

Report of Session 2019 -20

WOMEN HARRASSEMENT CELL

The Government Madan Lal Shukla College as an institution is situated in the rural area and the female student ratio is more. The college emphasises and prioritise the safety and proper café of girl students. In order to ensure gender equality, the institution takes following special measures.

1. We constitute women cell in every session with a co-ordinator and its members.
2. We organise meet with the new admitted female students 2/3 times in the year so as to make them understand about college administration and behaviour.
3. We have two complaint boxes - one from the local police station and the other from the college, so anybody can drop complaint any time and anonymously.
4. We have help desk that also looks after the problems if there are any.
5. We arrange and organise different programmes on different issues relating problems and solution of harassment and exploitation issues.

Under the able guidance of the Head of the institution Dr. Sheelprabha Mishra, work shop was being organised on legal awareness with special guest series—from High court Bilaspur.

1 Pankaj Jain –Upper session judge
2 Shailedra Chauhan -- Upper session judge
3 Ganesh Ram Patel-- Upper session judge
4 Khilawaj Ram Tiwari-- Upper session judge

Co-ordinator - Dr. Shubhra Mishra

Members - Prof. Neena Vakharia

Prof. Shweta Pandya

Prof. Aditi Gautam

Dr. Shweta Jaiswaal

Prof. Vandana Shrivastava

Triveni Sahoo

प्राचार्य,
शासकीय एम एल. एस. महाविद्यालय
सीपत जिला बिलासपुर (छ.ग.)

Govt. Madan Lal Shukla College AISHE C-22298 Seepat (C.G)

Govt. Madan Lal Shukla College IQAC Seepat (C.G)

Govt. Madan Lal Shukla P. G. College, Seepat

Distt. – Bilaspur(C. G.)

Website : www.https://gmlscollege.ac.in email : gmlscseepat@gmail.com

Report of Session 2018 -19

WOMEN HARRASSEMENT CELL

The Government Madan Lal Shukla College as an institution is situated in the rural area and the female student ratio is more. The college emphasises and prioritise the safety and proper café of girl students. In order to ensure gender equality, the institution takes following special measures.

1. We constitute women cell in every session with a co-ordinator and its members.
2. We organise meet with the new admitted female students 2/3 times in the year so as to make them understand about college administration and behaviour.
3. We have two complaint boxes - one from the local police station and the other from the college, so anybody can drop complaint any time and anonymously.
4. We have help desk that also looks after the problems if there are any.
5. We arrange and organise different programmes on different issues relating problems and solution of harassment and exploitation issues.

In the session 2018-19 a discussion was held among women harassment cell coordinator and members and students with a purpose to make students know about the establishment, purpose and practice of the women harassment cell. The cell is established for all the Females in college or in any other work place for the security and safety of Female employees and students. This also helps the in gaining confidence and to stand against any bad voice in the society.

Co-ordinator - Dr. Shubhra Mishra

Members - Prof. Neena Vakharia

Prof. Shweta Pandya

Prof. Aditi Gautam

Dr. Shweta Jaiswaal

Prof. Vandana Shrivastava

Triveni Sahoo

Govt. Madan Lal Shukla College AISHE C-22298 Seepat (C.G)

Govt. Madan Lal Shukla College IQAC Seepat (C.G)

प्राचार्य,
शासकीय एम. एल. एस. महाविद्यालय
सीपत जिला - बिलासपुर (छ0 ग0)

Govt. Madan Lal Shukla P. G. College, Seepat

Distt. – Bilaspur(C. G.)

Website : www.https://gmlscollege.ac.in email : gmlscseepat@gmail.com

Report of Session 2017 -18

WOMEN HARRASSEMENT CELL

The Government Madan Lal Shukla College as an institution is situated in the rural area and the female student ratio is more. The college emphasises and prioritise the safety and proper café of girl students. In order to ensure gender equality, the institution takes following special measures.

1. We constitute women cell in every session with a co-ordinator and its members.
2. We organise meet with the new admitted female students 2/3 times in the year so as to make them understand about college administration and behaviour.
3. We have two complaint boxes - one from the local police station and the other from the college, so anybody can drop complaint any time and anonymously.
4. We have help desk that also looks after the problems if there are any.
5. We arrange and organise different programmes on different issues relating problems and solution of harassment and exploitation issues.

The institution in the session 2017-18 invited DSP Manisha Pandey as a chief speaker; she was a real inspiration to the students. She expressed that it is important for each and every individual about the rights and duties, but at the same time it is important for a woman to know the facts and factual of their rights for their safety and protection.

Co-ordinator - Dr. Shubhra Mishra

Members - Prof. Neena Vakharia

Prof. Shweta Pandya

Prof. Aditi Gautam

Dr. Shweta Jaiswaal

Prof. Vandana Shrivastava

Triveni Sahoo

प्राचार्य,
शासकीय एम. एल. एस. महाविद्यालय
सीपत जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

Govt. Madan Lal Shukla College AISHE C-22298 Seepat (C.G.)

Govt. Madan Lal Shukla College IQAC Seepat (C.G.)

Govt. Madan Lal Shukla P. G. College, Seepat

Distt. – Bilaspur(C. G.)

Website : www.https://gmlscollege.ac.in email : gmlscseepat@gmail.com

Report of Session 2016 -17

WOMEN HARRASSEMENT CELL

The Government Madan Lal Shukla College as an institution is situated in the rural area and the female student ratio is more. The college emphasises and prioritise the safety and proper café of girl students. In order to ensure gender equality, the institution takes following special measures.

1. We constitute women cell in every session with a co-ordinator and its members.
2. We organise meet with the new admitted female students 2/3 times in the year so as to make them understand about college administration and behaviour.
3. We have two complaint boxes - one from the local police station and the other from the college, so anybody can drop complaint any time and anonymously.
4. We have help desk that also looks after the problems if there are any.
5. We arrange and organise different programmes on different issues relating problems and solution of harassment and exploitation issues.

In the session 2016-17 women harassment cell organised, lecture series on laws pertaining to women given to them in the constitutions and courts, for their upliftment and protection. The aim of the lecture is to make students know about these laws and also introduce this information in the local society, as college takes this as social responsibility.

Co-ordinator - Prof. Neena Vakharia

Members - Prof. Shweta Pandya

Dr. Shubhra Mishra

Prof. Aditi Gautam

Dr. Shweta Jaiswaal

Triveni Sahoo

Govt. Madan Lal Shukla College AISHE C-22298 Seepat (C.G)

Govt. Madan Lal Shukla College IQAC Seepat (C.G)

प्राचार्य,
शासकीय एम. एल. एस. महाविद्यालय
सीपत जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

Government Madan lal Shukla College Seepat, Bilaspur

Women Empowerment Programme

शासकीय मदनलाल शुक्ल महाविद्यालय
सीपत, जिला - बिलासपुर (छ.ग.)
'महिलाओं को प्राप्त कानूनी संरक्षण एवं जागरूकता'
विषय पर
कार्यशाला
प्रायोजक : राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली

आपका हार्दिक अभिनंदन करती है

Complaint Box